18/5/12 वास्ते जवाब व बहस प्रा.पत्र पत्रा. दिनांक 8-6-12 को पेश हो / तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

8/6/12 वास्ते जवाब व बहस प्रा.पत्र पत्रा. दिनांक 27/7/12 को पेश हो / तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

27/7/12 वकुलाय उप. / T.I. बहस सुनी। वास्ते निर्णय पत्रा. दि. 14-8-12 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

14/8/12 वकुलाय उपस्थित। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 21-8-12 को पेश हो / तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

21/8/12 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। नम्बर से कम होकर पत्रावली शामिल मुलवाद किया जावे।

उप खण्ड अधि
कोटकासिम (अल

Scanned by CamScanner

अधिकारी कोटकासिम (अ
...इनिशियल पी.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम अलवर

पीठासीन अधिकारी -- पुष्कर राज शर्मा (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
56 / 2007	16.06.2007	21-8-2012

उनवान

1 सूरजभान
2 हरलाल पुत्रान पतराम जाति जाटान निवासी ग्राम बघाना
तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान।

:-- प्रार्थीगण

1 हुकमदेवी पत्नी नरेश कुमार
2 निर्मलादेवी पत्नी दलीपसिंह
3 मधुदेवी पत्नी रामौतार जाट जाटान निवासी
ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज.
4 राजस्थान सरकार जर्ये भूमि अधिकारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार
कोटकासिम तह. कोटकासिम जिला अलवर राज.

:-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज.टी.ऐ.
आदेश 39 नियम 1 वो 2 संगठित धारा 151 जा.दी.।

उपस्थित अधिवक्ता
1 श्री श्रीभगवान यादव -- प्रार्थीगण
2 श्री दुलीचंद यादव -- अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने कथन किया है कि विवादित आराजी साबिक ख.न. 71 रकबा 10 बीघा मे से 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता पतराम पुत्र लालमन एवं सिर्हा पुत्र खूबी समभाग मे जमाबन्दी सम्वंत 2018 एवं 2022 मे अमल दरामद हो रहा है। इस तरह प्रार्थीगण के पिता पतराम का हिस्सा 1/3 दर 1/2 बनता है एवं साबिक खसरा नम्बर 71 रकबा 10 बीघा मे प्रार्थीगण के पिता पतराम के हिस्से मे 1 बीघा 13 बिस्वा आराजी आती है जिसका कि हाल खसरा नम्बर 408/2073 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा बना है. और प्रार्थीगण के पिता पतराम अपने हिस्से की आराजी 1 बीघा 13 बिस्वा पर काबिज वो दखिल होकर काश्त करते रहे। उनकी मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर उनके जायज वारिस प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के भाई खेमचंद जो कि फौत हो चुका है, जिनके प्रार्थीगण जायज वारिसान है एवं प्रार्थीगण विवादित आराजी पर स्वयं ही काबिज काश्त है। परंतु सैटिलमैंट के दौरान रतनलाल, रामौतार पुत्रान भोलू, हजारी पुत्र रतनलाल जाति नाई निवासी ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम ने सैटिलमैंट के अधिकारियों एवं

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पारियो से साज-बाज होकर विवादित आराजी का अंकन अपने नाम करा लिया, जिसकी पुनरावृत्ति हाल रिकॉर्ड मे होती रही। विवादित आराजी प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को बेचान कर दी और बेचान का इंतकाल भी अप्रार्थीगण । लगायत 3 के हक मे दर्ज हो गया है जबकि विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 का कभी कब्जा काश्त नही रहा और ना ही मौके पर है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 से इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने बाबत कहा गया तो वे साफ इन्कार हो गये और ऐलानिया तौर पर धमकियाँ दी कि वो विवादित आराजी को दीगर जगह मुन्तकिल करेंगे और प्रार्थीगण को बेदखल करेंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इरादो मे कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपने अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा। दीगर मुकदमाबाजी मे फंसना पडेगा। अजहद की हानि होगी। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जर्य हुक्मईम्तानाई चन्दरोजा से पावंद करवाने के अधिकारी है। वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेज से प्रार्थीगण का केस प्राईमाफेसाई आयद व साबित होता है। सुविधा का संतुलन व आपूर्ति होने वाली क्षति बहक प्रार्थीगण है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पावंद किया जावे कि वो विवादित आराजी हाल ख.न. 408/2073 रक्वा 1 वीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम को दीगर जगह मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके से जवरन वेदखल करे, ना ही कब्जा करे, ना ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे मजामहत पैदा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी पर ना तो प्रार्थीगण के पिता का, ना ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है। सन् 1975 से 2006 तक रतनलाल, रामकुंवार, हजारी अलौटियो का कब्जा काश्त रहा है। सैटिलमैंट विभाग द्वारा रतनलाल आदि का नाम रेवन्यु रिकॉर्ड मे दर्ज नही किया गया है, बल्कि आवंटन आदेश के अनुसरण मे उनके नाम का अंकन हुआ है। अप्रार्थीगण ने काश्त हेतु आराजी खरीद की है। प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा अप्रार्थीगण को पावंद कराने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन नही है। अपूरणीय क्षति की कोई संभावना नही है। तीनो बिंदु बहक अप्रार्थीगण है।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे विशेष कथन किया है कि अप्रार्थीगण ने प्रतिफल अदा कर रजिस्टर्ड विकय पत्र से आराजी कय की है। मौके पर काबिज है एवं सद्भावी केता है। अप्रार्थीगण ने अपने वाद मे रतनलाल वगैहरा के आवंटन को चैलेंज नही किया है ना ही कोई अपील पेश की है। रतनलाल वगैहरा को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार मुकदमा नही बनाया है। वाद आवंटन के 32 साल वाद पेश किया है जो सरासर मियाद बाहर है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 71 रकवा 10 वीघा मे 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता पतराम व सिंहा पुत्र खूबी के नाम जगावंदी सम्वंत 2018 व 2022 व दर्ज है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को किये गए अलॉटमैन्ट को प्रार्थीगण ने न्यायालय मे

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

...है रखी है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के विंदु ...गण के पक्ष मे है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा अप्रार्थीगण को ताफैसला मौके व ...की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु पावंद किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विवादित आराजी खातेदारो से कय की है। प्रार्थीगण ने विक्रेताओं को पक्षकार नही बनाया है। पूर्व मे विवादित आराजी सिवाय चक दर्ज थी। भूमिहीन होने के कारण विक्रेताओ को अलॉट हुई थी। विक्रेताओ का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अलॉटमैन्ट के जरिये विधिसम्मत रूप से आया है। अप्रर्थीग्ण का नाम नियमानुसार इन्तकाल के जरिये राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा विकय पत्र के विरूद्ध वाद एवं इन्तकाल के विरूद्ध अपील दायर नही की गयी है। वाद का आधार ही गलत है। प्रार्थीगण के पक्ष मे कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है। साविक खसरा नम्बर 71 रकबा i0 वीघा मे से आंशिक 1 बीघा 13 बिस्वा का ही वाद किया है। शेष भूमि के सम्बंध मे कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया। प्रार्थीगण बोनाफाईड परचेजर विद कंसीड्रेशन एंड पजेशन है। सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के विंदु अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणो मे तीन विंदु महत्वपूर्ण है।

1 प्रथम दृष्टया मामला
2 सुविधा का संतुलन
3 अपूरणीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन

प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण के पिता के नाम विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 71 मे 1/3 हिस्सा दर्ज था। प्रार्थीगण ने विकेंतओ को हुए आवंटन के विरुद्ध अपील की है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

अप्रार्थीगण का तर्क है कि उन्होने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र विवादित अराजी कय की है। राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा 32 वर्ष बाद दावा दायर किया गया है। विकय पत्र एवं इन्तकाल के विरूद्ध कोई वाद दायर नही किया गया है। साविक खसरा नम्बर के आंशिक भाग को ही विवादित आराजी बनाया है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है।

जमाबंदी सम्वंत 2062 से 2065 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। विवादित आराजी अलॉटशुदा आराजी है। प्रार्थीगण द्वारा कराये गए विकय पत्र व नामान्तरकरण को चुनौती नही दी गयी है। अप्रार्थीगण वर्तमान मे खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत नही होता।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

अपूरणीय क्षति

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्वंत 2022 की बंदी के पश्चात उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही रहा है। प्रार्थीगण सेटलमेन्ट पूर्व के रिकॉर्ड के आधार पर वाद लाये है। अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। अतः इस स्तर पर प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति होना प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 212 राज.काश्त. अधिनियम, आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता बावत विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 408/2073 रकबा 1–13 बीघा ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को 21-8-2012 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner